राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 51/2020

भेभाराम पुत्र गोकल सिंह जाति माली आयु वर्ष निवासी ढाणी लालोडा तन पपुरना तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 02–03–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम कालीपहाड़ी पटवार हल्का पपुरना तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 3734 रकबा 0.52 है0, ख.नं. 3910 रकबा 0.16 है0, ख.नं. 3911 रकबा 0.15 है0, ख.नं. 3912 रकबा 0.13 है0, ख.नं. 3913 रकबा 0.33 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.29 है0 के राजस्व रिकार्ड में रिकार्ड दुरूस्त कर प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र गोकल के स्थान पर भेभाराम पुत्र गोकल सिंह दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 145 ग्राम काली पहाड़ी पेश की गई तथा गवाह सुगनाराम पुत्र नारायणराम जाति माली निवासी नानूवाली बावड़ी तथा संदीप पुत्र बाबुलाल जाति सैनी निवासी पपुरना के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम काली पहाड़ी स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2078 से 2078 के खाता संख्या 145 में प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र गोकल के स्थान पर भेभाराम पुत्र गोकल सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम काली पहाड़ी स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 145 में प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र गोकल के स्थान पर भेभाराम पुत्र गोकल सिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 15:58:32 IST
Reason: SelfAttested

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner